राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक 1(5) ग्रावि/नरेगा/सी.एम. रेफरेन्स/2010 जयपुर, दिनांकः– 5/2/2010

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत नागरिक अधिकार पत्र के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत नागरिक अधिकार पत्र संलग्न कर भिजवाया जा रहा है जिसका जिला स्तर/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकाधिक प्रचार–प्रसार कराने की व्यवस्था करावे।

भवदीय,

(रामनिवास मेहता)
परियोजना निदेशक, ईजीएस

प्रतिलिपि :– अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

परियोजना निदेशक, ईजीएस

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत नागरिक अधिकार पत्र

- प्रत्येक ग्रामीण परिवार जो कि ग्राम पंचायत का मूल निवासी है, योजनान्तर्गत पंजीकरण का अधिकारी। पंजीकरण के लिए परिवार के सदस्य का व्यस्क होना आवश्यक।
- पंजीकरण उपरान्त 15 दिवस में जॉब कार्ड प्राप्त करने का अधिकार।
- जॉब कार्ड बिना राशि के प्राप्त करने का अधिकार।
- जॉब कार्ड परिवार के स्वयं के पास रखने का अधिकार।
- जॉब कार्डधारी परिवार के सदस्य जिसका नाम जॉब कार्ड में दर्ज है, द्वारा कार्य की मांग का अधिकार।
- कार्य की मांग के आवेदन की तारीख शुदा रसीद की प्राप्ति का अधिकार।
- कार्य की मांग की तिथि से 15 दिवस में अथवा कार्य की मांग की दिनांक से (जो भी बाद में हो) रोजगार पाने का अधिकार।
- निर्धारित अवधि में रोजगार प्राप्त नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार।
- कार्य समाप्ति के 15 दिवस में मजदूरी पाने का अधिकार।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करने का अधिकार।
- ग्राम सभा के माध्यम से अपने गॉव की योजना बनाने का अधिकार।
- ग्राम सभा के माध्यम से योजनान्तर्गत कराये गये कार्यो के सामाजिक अंकेक्षण में भाग लेने एवं उसमें कराये गये कार्यो तथा कार्यो पर नियोजित परिवारों के संबंध में जानकारी पाने का अधिकार।
- कार्य से संबंधित सभी दस्तावेजों को देखने व निरीक्षण का अधिकार।
- टास्क के अनुसार मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार, परन्तु एक दिन में न्यूनतम मजदूरी दर से अधिक दर प्राप्त करने का अधिकार नहीं।
- मजदूरी का भुगतान नियत समय से देरी से होने पर क्षतिपूर्ति का अधिकार।
- कार्यस्थल पर कार्यस्थल सुविधाऐं प्राप्त करने का अधिकार।